

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त; पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/गया/मुंगेर ।  
सहायक श्रमायुक्त, छपरा/पूर्णिया मुख्यालय कटिहार/डालमियानगर(रोहतास)/सहरसा/बेतिया।  
श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01/जहानाबाद/समस्तीपुर-01/औरंगाबाद/नवादा/भोजपुर(आरा)-01/  
मोतिहारी-01/नालन्दा(बिहारशरीफ)-01/सीवान-01/खगड़िया/मधुबनी-01/जमुई/  
वैशाली(हाजीपुर)-01/गोपालगंज/किशनगंज/सीतामढ़ी-01/अररिया-01/अरवल/बांका/  
भभुआ(कैमूर)/बक्सर/लखीसराय/मधेपुरा/शेखपुरा/शिवहर/सुपौल।

पटना, दिनांक:-

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक  
संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का  
सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का  
सुदृढीकरण योजनान्तर्गत दिनांक 01.05.2018 को मई दिवस के अवसर पर कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के  
आयोजन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 20-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विषयशीर्ष-0108.20.02 कॉन्फ्रेंस,  
कार्यशाला, सेमिनार से संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है ।

2. यह आवंटन कुल ₹ 3,80,000/- (रूपये तीन लाख अस्सी हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0  
दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के  
आलोक में है ।

3. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी गत वित्तीय वर्ष में मई दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम  
से संबंधित सभी आवश्यक साक्ष्य यथा-फोटो, अखवार कतरन, पम्पलेट इत्यादि के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र/ व्यय  
प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के उपरांत ही इस राशि की निकासी करेंगे ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि  
से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।


5. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया  
जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक  
टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे। इस व्यय प्रतिवेदन में मई दिवस  
कार्यक्रम आयोजन के सभी आवश्यक साक्ष्य यथा-फोटो,अखवार कतरन, पम्पलेट अवश्य संलग्न होना चाहिए।

7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS  
Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।

8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,


  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापंक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

92

पटना, दिनांक

20-9-18

\*स्पीड  
पोस्ट

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/\*संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार/पदाधिकारी/निदेशक कृषि श्रमिक, बिहार, पटना / प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-1, (श्रम पक्ष) / आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /बजट शाखा, प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

20/9/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 द्वारा मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मई दिवस हेतु 20-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विषयशीर्ष-0108.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से आवंटित राशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्रम अधीक्षक, अररिया	10000	
2	श्रम अधीक्षक, अरवल	10000	
3	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	10000	
4	श्रम अधीक्षक, बांका	10000	
5	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	10000	
6	श्रम अधीक्षक, भभुआ (कैमूर)	10000	
7	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	10000	
8	श्रम अधीक्षक, भोजपुर(आरा)	10000	
9	श्रम अधीक्षक, बक्सर	10000	
10	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	10000	
11	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	10000	
12	उप श्रमायुक्त, गया	10000	
13	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	10000	
14	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद	10000	
15	श्रम अधीक्षक, जमुई	10000	
16	श्रम अधीक्षक, खगड़िया	10000	
17	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल कटिहार	10000	
18	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	10000	
19	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	10000	
20	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	10000	
21	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	10000	
22	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी	10000	
23	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	10000	
24	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	10000	
25	श्रम अधीक्षक, नालन्दा(बिहारशरीफ)	10000	
26	श्रम अधीक्षक, नवादा	10000	
27	उप श्रमायुक्त, पटना	20000	
28	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल।	10000	
29	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी	10000	
30	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	10000	
31	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर	10000	
32	सहायक श्रमायुक्त, सारण(छपरा)	10000	
33	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	10000	
34	श्रम अधीक्षक, शिवहर	10000	
35	श्रम अधीक्षक, सीवान	10000	
36	श्रम अधीक्षक, सुपौल	10000	
37	श्रम अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर)	10000	
	कुल योग	380000	

कुल आवंटित राशि ₹ तीन लाख अस्सी हजार मात्र ।

— 26/09/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार ।